



मूल वाद में डिफ्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) **वेम्पमोलीगाडु**

पीठासीन अधिकारी :- **श्री राहुल सैनी**

की.बलराम उनवान बनाम **राजाध्यान साकार**

दावा बाबत **नाम डुरस्ती**

मुकदमा नम्बर :- **102/2021**

निर्णय दिनांक :- **18.11.2021**

वादी की ओर से **दर्शन** की व प्रतिवादी की ओर से **पौका राज** की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **18.11.2021** को **श्री राहुल सैनी** (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरु के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिफ्री दी जाती है कि **वादी का शेष स्विकार किया जाकर राही ग्राम मोलीगाडु की जायदादी के खतानं 72 में दर्ज की बलराम पुत्र मोहनराम के अर्जानु पर की बलराम पुत्र रामधनराम राजाडु लिंकड में दर्ज करने के आदेश दिने जाते हैं। नहमीसका, चूरु अम्तानुला राजाडु लिंकड में अमल कराने को।**

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **18.11.2021** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

श्री राहुल सैनी
(राहुल सैनी)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

वाद के खर्चे

चूरु

वादी	प्रतिवादी
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	अर्जी के लिए स्टाम्प
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	प्लीडर की फीस
4.रुपये पर प्लीडर की फीस	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	आदेशिका की तामील
6. कमिश्नर की फीस	कमिश्नर की फीस
7. आदेशिका की तामील	
जोड़	जोड़



यदिवाली